

यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे निर्वाचकों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :-

- (i) पासपोर्ट
- (ii) ड्राइविंग लाइसेन्स ।
- (iii) आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन) ।
- (iv) राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र।
- (v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पासबुक ...31.8.2010 तक खोला गया खाता ।
- (vi) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र ।
- (vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31-8-2010 तक जारी फोटोयुक्त अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र ।
- (viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31-8-2010 तक जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र ।
- (ix) 31-8-2010 तक जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस ।
- (x) एन.आर.ई.जी.ए ...नरेगा | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन फोटो युक्त जॉब कार्ड 31-8-2010 तक जारी ।
- (xi) फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि ।
- (xii) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र / वृद्धावस्था पेंशन आदेश / विधवा पेंशन आदेश ...31.8.2010 तक जारी ।
- (xiii) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड ...श्रम मंत्रालय योजना 31.8.2010 तक जारी ।
- (xiv) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी 31.8.2010 या उससे पहले का विद्यार्थी फोटो पहचान पत्र।

निर्वाचक को जारी किया गया निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या उपर्युक्त कोई भी दस्तावेज जो केवल परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध है, का प्रयोग उस परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आएँ तथा उनकी पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाए ।

General Election to Bihar Legislative Assembly, 2010 and 27-Banka Parliamentary Constituency bye-election, 2010 (14 Alternative Documents)

If any elector fails to produce his/her EPIC, such elector shall have to produce any of the following alternative photo documents for establishing his/her identity.

- (i) Passport,
- (ii) Driving Licence,
- (iii) Income Tax Identity (PAN) Card,
- (iv) Service Identity Card having photograph, issued to its employees by State/Central Government Offices, Public Sector Undertakings, Local Bodies or Public Limited Companies,
- (v) Passbook containing Photograph for Accounts opened up to 31-8-2010 in Public Sector Banks/Post Offices,
- (vi) Freedom Fighter Identity Card with photograph.
- (vii) SC/ST/OBC certificates issued by competent authority with photograph issued up to 31-8-2010,
- (viii) Certificate of physical handicap having photograph issued by the Competent Authority, issued up to 31-8-2010,
- (ix) Arms License having photograph, issued up to 31-8-2010,
- (x) Job Cards with photograph issued under the National Rural Employment Guarantee Scheme, issued up to 31-8-2010 ,
- (xi) Property Document with Photograph such as pattas, Registered Deeds, etc.,
- (xii) Pension Document such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment Order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order with photograph (issued upto 31-8-2010),
- (xiii) Health Insurance Scheme Smart Card with photograph (Ministry of Labour's Scheme, issued up to 31-8-2010,
- (xiv) Student photo identity card issued by recognized educational institutions on or before 31-8-2010.

Any of the abovementioned documents that is available only to the head of the family may be used for identifying the other members of the family provided all members come together and are identified by the head of the family.